

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

श्री रमेश कुमार ठाकुर (तत्कालीन उप उद्योग निदेशक), लोक सूचना पदाधिकारी, उद्योग विभाग की प्रोन्नति संयुक्त उद्योग निदेशक के पद पर होने के फलस्वरूप श्री अनिल कुमार झा, अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उद्योग विभाग का लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।


2. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:- 931

सू0को0 उद्योग(03)-02/06

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री रमेश कुमार ठाकुर, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक:- 10/03/2017


सरकार के उप सचिव
VKY
09/03/17

राकेश/08-03-17